2076

28-8-18

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक :लो0अ0वि0 / रा0से0यो0 / 1914 /2018 दिनांक: 28 / 08 / 2018

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रमाधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी सम्बन्धित महाविद्यालय।

विषयः– विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण –2019– नये मतदाताओं के पंजीरण के लिए प्रभावी रणनीति

महोदय / महोदया ,

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरप्रदेश के पत्र संख्या–1785 / सी0 ई0 ओ0–4–24 / 4–2018 दिनांक 16–08–2018 के संदर्भ मे आपसे अपेक्षा की जाती है:–

1:प्रत्येक महाविद्यालय में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक कोआर्डिनेटर एवं एक हेल्पडेस्क की स्थापना करायी जाय। तथा संस्थान द्वारा नामित किए गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं टेलीफोन न0 आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उपलब्ध कराये जाये।

2:प्रत्येक महाविद्यालय में एक कक्ष को वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष के रूप में स्थापित किया जाये। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यू0 पी0 एस एवं इण्टरनेट इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाय

3:महाविद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए जाय कि उसके परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है कि नहीं, तथा 01 / 01 / 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है:–

A.

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	EPIC(मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0 / आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान)पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में फार्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नामः
पताः
मोबाइल नं0

इसके अतिरिक्त शासन से प्राप्त उपरोक्त पत्र संलग्न है उसके निर्देशो का पालन करते हुए मतदाता रजिस्ट्रेशन के अभियान को समय बद्ध पूरा किया जाये।

भवदीय

संलगनक–यथोपरि

28/8/18

(डॉ समीर सिन्हा)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि –
(1) निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ। 28-8-18
(2) ई० डी० पी० सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें

(डॉ० समीर सिन्हा)

महत्वपूर्ण/ई–मेल/स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

2229
20/08/18

संख्या–1785/सी0ई0ओ0–4–24/4–2018 लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2018

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2019–नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आयोग के निदेशानुसार अर्हता तिथि 01–01–2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 01–09–2018 को किया जाना है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 31–10–2018 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिये निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:–

1. समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक 'कोआर्डिनेटर' एवं 'हेल्पडेस्क' की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध करा दिये जायें।

Coord NSS

2. संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध रहें ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह संबंधित से सम्पर्क कर सकें।

25/8/18

3. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाय।

4. प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को 'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष' के रूप में स्थापित किया जाय। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण कराया जाय।

5. कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जायं कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक

नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है:–

A.			
क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	EPIC(मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0/आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में फार्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नामः
पताः
मोबाइल नं0....................

6. दिनांक 01 सितम्बर 2018 को आलेख्य का प्रकाशन किया जाना है तथा विशेष अभियान हेतु दिनांक 09 सितम्बर 2018, 23 सितम्बर, 2018, 07 अक्टूबर, 2018, 14 अक्टूबर 2018 तथा 28 अक्टूबर, 2018 की तिथियां निर्धारित है, अतः दिनांक 01 सितम्बर 2018 को जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा है कि कृपया जिला मुख्यालय के किसी बड़े कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित करके मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करने का कष्ट करें। इसी प्रकार के कार्यक्रम तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी द्वारा तथा बूथ स्तर पर बीएलओ द्वारा आयोजित किये जायें और रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारम्भ कराया जाय। इसके अतिरिक्त अन्य कालेजों में भी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/सेक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम का प्रारम्भ करने हेतु भेजा जाय।
7. समस्त राजकीय विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट आफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाए।
8. मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिये समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधियों/एसोशियेसन यथा व्यापार मण्डल, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उनके माध्यम से भी इसका प्रचार–प्रसार कराया जाय।
9. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर, उनसे यदि समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेविल एजेंट की तैनाती न कर पाये हों तो उन्हें तैनात करने का अनुरोध किया जाय।
10. समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जायें।

11.दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि जो 31 अक्टूबर 2018 तक है, की अवधि में जिले के प्रमुख संस्थानों में अलग–अलग तिथियां निर्धारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित कराकर पात्र मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन करायें। इन कार्यक्रमों का फोटो/वीडियो कवरेज कराया जाय तथा स्थानीय टीवी चैनलों एवं स्थानीय समाचार पत्रों/संस्करणों में इससे संबंधित कवरेज कराया जाय।

12.दिनांक 01 सितम्बर 2018 को कार्यक्रम के शुभारम्भ एवं अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया/फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कापियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी जाये।

13.निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विशेष अभियान तिथियों 09 सितम्बर 2018, 23 सितम्बर, 2018, 07 अक्टूबर, 2018, 14 अक्टूबर, 2018 तथा 28 अक्टूबर, 2018 को अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यह देखेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है।

14.दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के कार्यक्रम, विशेष अभियान तिथियों के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सेलेक्टिव फुटेज) जिले के फेसबुक एकाउन्ट पर अपलोड किये जायें ताकि जन सामान्य भी उन्हें देख सकें।

15.जिला निर्वाचन अधिकारी प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ इसे भी जोड़ने का कष्ट करें एवं यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक उपरोक्त कार्यक्रम की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाय।

16.इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 31.10.2018 तक है अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि सभी अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने सम्बन्धी कार्यवाहियां दिनांक 31.10.2018 तक कर लें ताकि सभी नये मतदाताओं को संसमय मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

17.जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम में शिथिलता न आने पाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:1785(1)/सी0ई0ओ0–4–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

अति–आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, फैजाबाद।

संख्या 157 / पुनरीक्षण–2018 दिनांक 18 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों का भली भाँति अध्ययन करते हुये समस्त सम्बन्धितों के संज्ञान में लाकर सयमबद्ध रूप से दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराने हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य विकास अधिकारी / नोडल अधिकारी, स्वीप, फैजाबाद।
2. कुल सचिव, डॉ0रा0म0लो0अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
3. कुल सचिव, न0दे0कृ0विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, फैजाबाद सादर सूचनार्थ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद।
6. सदस्य जनपद स्तरीय मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Club) फैजाबाद।
7. समस्त उप जिलाधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद–फैजाबाद।
8. समस्त तहसीलदार / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद–फैजाबाद।
9. प्राचार्य / प्रधानाचार्य, समस्त शैक्षणिक शिक्षण संस्थान, जनपद–फैजाबाद।
10. डॉ0 मिर्जा शहाब शाह, जिला स्वीप कोआर्डिनेटर, स्वीप / रीडर वाणिज्य विभाग, का0सु0 साकेत महाविद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद।
11. विशेष कार्याधिकारी, शिविर कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

Ahmad

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
फैजाबाद।

157, 235

कुल सचिव
डा० रा० म० लो० अवध विश्व विद्यालय
फैजाबाद।

संप्रेषक
जिला निर्वाचन कार्यालय
फैजाबाद